



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल. सं. NCST/DEV-474/JH/2/2022-RO-RNC (ESDW)

दिनांक: 03.03.2023

सेवा में,

श्री प्रदीप तिकी,
पिता-स्व० बिरसा उरांव,
पता-अरगोड़ा, टुंगरीटोली,
जिला-राँची (834002),
झारखंड।

श्री राजू तिकी,
पिता-स्व० बिरसा उरांव,
पता-अरगोड़ा, टुंगरीटोली,
जिला-राँची (834002),
झारखंड।


विषय: दखल दिहानी नहीं कराए जाने के संबंध में श्री प्रदीप तिकी एवं राजू तिकी, पता- अरगोड़ा टुंगरीटोली, जिला-राँची (झारखंड) का दिनांक 07.01.2019 का अभ्यावेदन।

महोदय,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक जी ने आपके मामलों में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ **दिनांक 14.03.2023 को 03:00 बजे**, आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय


(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी